विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत शक्ति के लघु और मध्यम उपभोक्ताओं/निजी नलकूपों के लिए

अनुबन्ध पत्र/वचन पत्र

(सौ रूपये के स्टाम्प वाले कागज पर चिपकाया जायेगा)

1. मैं/हम एतद् द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कारपोरेशन (जिसे एतद् पश्चात् 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है) से निम्नलिखित भू-गृहादि पर अपने संस्थापन (इन्सटालेशन) की ....प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के लिए संभरण का प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की अन्यून अवधि के निमित्त........................अश्वशक्ति के अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूं/हैं। उपर्युक्त दो वर्षों की अन्यून अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा वचन वर्षानुवर्ष, यहां निहित शर्तों के आधार पर तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक दोनों ओर से किसी ओर से कम से कम 30 दिन के पूर्व लिखित सूचना देकर उसकी समाप्त न कर दिया गया हो।

2. मैं/हम एतद् द्वारा इस समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त संभरण के लिए कारपोरेशन द्वारा नियत दरों पर संभरण शर्तों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी भुगतान करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

3. मैं/एतद् द्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति-धनराशि (सिक्योरिटी एमाउन्ट) जमा करने के लिए सहमत हूं/हैं और कोई भी अग्रेत्तर प्रतिभूति, जब कभी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूं/हैं।

4. मेरे हमारे, सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबन्ध न्यूनतम प्रत्याभूति (गारण्टी) परिव्यय (चार्ज) में जो भी कमी यदि होगी, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरांत जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा, जो बिल के देरी से/भुगतान के कारण, अदेय हो, भुगतान की जायेगी।

5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनक्शन के स्थल तक स्वकीय अपनी लागत पर माल समान को ले जाने के लिये वचनबद्ध होता हूं होते हैं/वचनबद्ध नहीं होता हूं/वचन बद्ध नहीं होते हैं।

6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की दरों और शर्तों को मैंने/हमने पढ़ लिया है।/हम, एतद् द्वारा अग्रेत्तर अनुबन्ध करता हूं/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की शर्तों को पालन करूंगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चात् वर्ती परिष्कारों अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूंगा/करेंगे तथा प्रवृत्त अथवा समय समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाइ) ऐक्ट 1948 तदन्तर्गत निमित्त नियमावली तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 आबद्ध हूंगा/होंगे।

7. मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए आपेक्षित सीमेन्ट की व्यवस्था करने के लिये वचनबद्ध होते हैं/वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचनबद्ध नहीं होते हैं।

(2)

मैं एतद् द्वारा अग्रेत्तर अनुबन्ध करता हूं कि मैं निम्नलिखित उपानुबन्धों (स्टीपुलेशन्स) का पालन करूंगा।

(1) सर्विस कनेक्शन एवं अन्य निर्धारित व्यय आदि की धनराशि जमा करता हूं।

(2) अन्य वांछित औपचारिकताएं पूरी करूंगा।

(3)

मैं हम वचनबद्ध होता हूं / वचनबद्ध होते हैं कि समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन इस वचनपत्र के निष्पादन के निमित्त आपेक्षित स्टाम्पों द्वारा रजिस्ट्रीकरण शुल्क यदि कोई हो को भुगतान करूंगा/करेंगे।

टिप्पणी - मैंने संभरण की दरां, शर्तों, तथा प्रतिबन्धों को सुसंगत रूप से प्राप्त कर लिया गया है।

उपभोक्ता के साक्षी का नाम तथा पता

गवाह (1) हस्ताक्षर प्रवीण सिंह

नाम प्रवीण सिंह

पिता का नाम वीरेन्द्र कुमार सिंह

ग्राम डीहपुर

डा0

जनपद - प्रतापगढ़

गवाह (2) हस्ताक्षर मो० सरवर

नाम मो० सरवर

पिता का नाम S/o मो० अहमद

ग्राम पूरे प्रभु विशुनदत्त

डा0

जनपद - प्रतापगढ़

उपभोक्ता के हस्ताक्षर सुरेश कुमार सिंह

पूरा नाम सुरेश कुमार सिंह

पिता का नाम S/o राम बहादुर सिंह

ग्राम पूरेपाण्डेय (दिवानगंज)

डा0 शीतलागंज

थाना कन्धई प्रतापगढ़

ब्लाक

जनपद - प्रतापगढ़

जाति

उम्र

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्रतिभूति/धनराशि का विवरण

(1) रसीद संख्या

(2) दिनांक

(3) धनराशि

(क) अंकों में

(ख) शब्दों में

2 संभरण प्रारम्भ होने का दिनांक

हस्ताक्षर

उपखण्ड लिपिक / अनुबन्ध लिपिक

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता

अधि. अभि. वि. वि. खण्ड – प्रतापगढ़

प्रकमण धनराशि जमा रसीद संख्या......................

दिनांक..............................

- सम्बन्धित विद्युत उपसंस्थान का नाम..
- सम्बन्धित उपखण्ड का नाम..
- आवेदक की साइट की जांच की.......................................अश्वशक्ति की मोटर पानी उठाने में सक्षम है तथा आवेदक के खिलाफ कोई चैकिंग/विजिलेंस की कार्यवाही नहीं हुई है।

ह0 अवर अभियन्ता

कोषाध्यक्ष,

उपभोक्ता के आग्रह पर सशर्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कि विभाग में सामान उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही होगी।

कृपया 200/– रू0 प्रक्रमण धनराशि जमा करें।

अधि. अभियन्ता

निजी नलकूप विधा के लिए ....अश्वशक्ति प्रभार स्वीकृत किया जाता है।

सहा. अभि. (रा.)/अधि. अभि.

केवल नलकूपों के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए

आवेदन–पत्र

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय प्रतापगढ़

1– प्रार्थी का नाम और पता सुरेश कुमार सिंह

पिता/ पति का नाम श्री राम बहादुर सिंह

ग्राम पूरेपाण्डेय पोस्ट रानीगंज मौजा..........

ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम तहसील पट्टी जिला धारा प्रतापगढ़

2– बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिये आवेदन पत्र दिया जा रहा है। साइट जहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं। — 3 H.P. अश्वशक्ति, ग्राम पूरेपाण्डेय ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम

3– प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी। जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण, उनका नाम, संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण दियाजाय। — खतौनी संलग्न

4– क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे स्थान पक्के कुएँ आदि से की जा सकती है? — नहीं

5– अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी और अब उनसे आगे काम क्यों नहीं लिया जा सकता। — डीजल पम्पसेट द्वारा

6– क्या वह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा सीचे जाने वाले क्षेत्र/कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है। — नहीं

7– क्या नलकूप की बोरिंग की गई है और पम्प तथा मोटर लगा दिये हैं। — बोरिंग पूर्ण है।

8– प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच की दूरी। — नहीं

9– नलकूप के स्थान से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। — 100 मीटर

10– पाइप का व्यास, चलना (स्ट्रनर) की लम्बाई, बोरिंग (खुदाई) की गहराई, स्त्रोत की सतह पहले पानी फटने की सतह की गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रति घंटा गैलनों में। — /

11– प्रकगण शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक

12– खेत का नम्बर जिसमें प्रार्थी ने बोरिंग करवाया।

सुरेश कुमार सिंह

प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक..............................

खण्ड विकास अधिकारी का बोरिंग प्रमाण-पत्र संस्तुति

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक का बोरिंग कार्य क्षेत्र नं0 238 में पूर्ण है।
अतः 3 H.P. अश्व शक्ति प्रभार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(ब) मेरे द्वारा साइट की जांच करवाई गई। बोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संस्तुति की जाती है।

महोदय,
श्री सुरेश कुमार सिंह s/o राम बहादुर सिंह की बोरिंग का सत्यापन किया गया, मौके पर बोरिंग पूर्ण एवं सफल है। कृषक को विद्युत नलकूप कनेक्शन की संस्तुति की जाती है।
Note:- यह प्रमाणपत्र ऋण-स्वीकृति हेतु वैध नहीं है।

हस्ताक्षर 19/09/23
बी.डी.ओ. की मुहर सहित
दिनांक..........

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड बाबागंज नाथ धाम
प्रतापगढ़

मैं सुरेश कुमार सिंह

(1) मैं ग्राम पूरेपाण्डेय डा0 शीतलागंज ब्लाक बाबागंज तहसील पट्टी जनपद - प्रतापगढ़ घोषणा करता हूं कि जिला प्रतापगढ़ का मूल निवासी हूं।

(2) मैं/हम अपने नाम निजी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ/रहें हैं।

(3) यह है कि सह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई वाद विवाद पाया गया तो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

(4) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रकमण शुल्क/प्राथमिकता शुल्क जमा करने को तैयार हूँ/हैं।

(5) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।

(6) मेरा/हमारा स्वयं का शपथ पत्र संलग्न है।

(7) सह खातेदारों का शपथ पत्र संलग्न है।

(8) फोटो प्रमाणित है।

(9) खसरा, खतौनी संलग्न है।

(10) विद्युत का पूर्व का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर बिल बकाया हो या कोई विजीलेंस आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।

(11) प्रार्थना पत्र सशर्त स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय-समय पर विभाग के जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुबन्ध न करने पर प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(12) मैं पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर Ratesh Kumar

(प्रधान/ब्लाक प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम राजेश कुमार

पता पूरेपाण्डेय शीतलागंज प्रतापगढ़

मुहर Ratesh Kumar प्रधान दिनांक..........

सुरेश कुमार सिंह
हस्ताक्षर

आवेदक का नाम सुरेश कुमार सिंह

पिता का नाम श्री राम बहादुर सिंह

पता पूरेपाण्डेय शीतलागंज पट्टी प्रतापगढ़

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP13824776714088V

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Signature...............
ACC Name-Mohammad [illegible]
ACC Code-U.P. 14193404
ACC Address Civil Line Patti
Mobile 9838008263 Licence No.[illegible]
[illegible] Patti District Pratapgarh

Certificate No.	:	**IN-UP13824776714088V**
Certificate Issued Date	:	15-Sep-2023 11:08 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14193404/ PATTI/ UP-PTG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14193404233113355331 86V
Purchased by	:	SURESH KUMAR SINGH SO DAN BAHADUR SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SURESH KUMAR SINGH SO DAN BAHADUR SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SURESH KUMAR SINGH SO DAN BAHADUR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

₹100

IN-UP13824776714088V

Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.